पीठासीन अधिकारी : श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
मुकदमा नम्बर :– 14/2025 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2025/54)

उनवानी प्रकरणः–

ए.एस.आर. रोडवेज प्रा0 लि0 जरिये प्रो0 अजित सिंह पुत्र श्री शिशराम निवासी वल्लभगढ फरीदावाद हरियाणा ———————————— प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान सरकार —————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत वाहन सुपुर्दगी ट्रक नम्बर एच.आर.38–एबी4469
(धारा 4,5,6 राजस्थान. गौवंशीय पशु अधिनियम)
एफ.आई.आर. न0 355/2023 थाना सैपऊ

उपस्थिति : –

प्रार्थी की ओर से :– श्री जितेन्द्र सिंह सिकरवार एडवोकेट धौलपुर
अप्रार्थी की ओर से :– दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

निर्णय दिनांक 19.05.2026

निर्णय

प्रार्थी ए.एस.आर. रोडवेज प्रा0लि0 जरिये प्रो0 अजित सिंह पुत्र श्री शिशराम निवासी वल्लभगढ फरीदावाद हरियाणा ने एक प्रार्थना पत्र थाना सैपऊ में दर्ज एफ.आई. आर. नम्बर 355/2023 अन्तर्गत धारा 4,5,6 राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर एचआर38–एबी4469 को सुपुर्दगी में दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि पुलिस थाना सैपऊ द्वारा राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम की धारा 4, 5, 6 के तहत एफआईआर संख्या 355/2023 दर्ज की एवं प्रार्थी के रजिस्टर्ड वाहन ट्रक नम्बरी एच0आर038–एबी 4469 को अवैध रूप से जब्त कर लिया है। पुलिस थाना सैपऊ ने उक्त ट्रक के विरूद्व समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है पुलिस थाना सैपऊ को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को उक्त ट्रक की अति आवश्यकता है। प्रार्थी ए.एस.आर. रोडवेज प्रा0लि0 जरिये प्रो. अजित सिंह पुत्र श्री शिशराम निवासी वल्लभगढ फरीदावाद हरियाणा उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

आवश्यकता है। अतः उक्त जब्त वाहन ट्रक नम्बरी एच0आर038–एबी 4469 को प्रार्थी/सुपुर्दगार को सुपुर्दगी पर दिये जाने वास्ते आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना सैपऊ से प्रकरण से सम्बधित केस डायरी तलब की गई एवं अप्रार्थी की ओर से दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति अजीत सिंह, लॉ डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन, एफआईआर नम्बर 355/2023 की प्रति, एसआररोडवेज प्रा0 लि0 रजिस्ट्रेशन की प्रति, आरसी की प्रति, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, फिटनेश, बीमा पार्ट ए व बी, प्रमाणित प्रति चार्जशीट सरकार बनाम सद्दीक, बीमा कॉपी ट्रक नम्बर एचआर 38 एबी 4469, कंसाइनमेंट कॉपी, रिसीविंग कॉपी फार्म नम्बर 3 के साथ पेश की ।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि वाहन को इधर से उधर सामान का आयात–निर्यात हेतु किराये के भाडे पर भेजते रहते है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान यह भी अवगत कराया कि उनके द्वारा फॉर्म नम्बर–3 के साथ बिल्टी/लॉरी रसीद दिनांक 19.10.2023 व रिसीविंग कॉपी की प्रति पेश की जिसके अनुसार बिल्टी/लॉरी रसीद दिनांक 19.10.2023 को उक्त वाहन से सैमसंग कम्पनी का इलैक्ट्रॉनिक्स सामान (यथा फीज–06 नग, रंगीन टेलीविजन–230 नग, बॉशिंग मशीन–45 नग कुल 281 नग) कांजीपुरम जिला चैन्नई से लुधियाना के लिये सामान भिजवाया गया था एवं प्राप्ति रसीद अनुसार उक्त सामान को दिनांक 25.10.2023 को सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. लुधियाना द्वारा प्राप्त किया गया। वाहन चालक व खल्लासी द्वारा प्रार्थी/वाहन स्वामी की इच्छा व अनुमति की परवाह किये बिना उपरोक्त वाहन में गौवंश भरे गये जिसकी सूचना प्रार्थी को वाहन जप्त होने पर पुलिस के माध्यम से मिली। उक्त दोनो वाहन चालक व खल्लासी द्वारा ऐसा अपराध किया जावेगा, इसका प्रार्थी को कोई अन्देशा पूर्व में नही था। प्रार्थी को जानकारी होने पर उनके द्वारा पुलिस को पूर्ण सहयोग दिया जाकर उक्त अभियुक्तो को पकड़वाने हेतु भरसक प्रयास किये गये। अभिभाषक प्रार्थी ने अवगत कराया कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम 1995 की धारा 6 क (2) के अनुसार प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश जारी करने से पूर्व प्रवहण के उक्त साधन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा और

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

यदि ऐसा स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नही था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक् सावधानी बरती थी तो सक्षम अधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिहरण नही करेगा। वाहन चालक कयूम पुत्र श्री सहिदा उम्र 38 साल जाति मेव मुसलमान निवासी गांव भाजलाका थाना सदर ताबडू जिला मेवात हरियाणा एवं खल्लासी सद्दीक पुत्र श्री जमील जाति मेव निवासी अलापुर थाना सदर नूंह जिला नूंह के विरूद्व माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपऊ में चार्जशीट नम्बर 40/2025 दिनांक 27.06.2025 को प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रस्तुत चार्जशीट में मुल्जिम के रूप में प्रार्थी/वाहन स्वामी का नाम नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना सैंपऊ ने उक्त ट्रक के विरूद्व समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। प्रार्थी के उक्त जप्तशुदा ट्रक की पुलिस थाना सैपऊ को अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकरण को लम्बित रहते हुये 01 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। वाहन को ज्यादा समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया तो उसमें तकनीकी खराबी आने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी के जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर एचआर 38 एबी 4469 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिलाये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना सैपऊ के पत्र कमांक 1172 दिनांक 15.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि उक्त जप्त शुदा वाहन ट्रक की बॉडी के अन्दर 14 गाय मादा, 21 सांड नर हिंसक रूप से बुरी तरह भरे पाये गये। उक्त गौवंश कट्टी के लिये ले जा रहे थे। उक्त गौवंश को लाने व ले जाने बावत लाईसेंस व सक्षम अधिकारी का अनुमति से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। इस हरकत से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मुल्जिम अंतराज्यीय गौवंश तस्करी करता है। प्रार्थी का वाहन ट्रक राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी विनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम, 1995 कृत्य जुर्म धारा 4,5,6,8 व 9 की तारीफ में आना पाये जाने पर प्रार्थी के वाहन ट्रक नम्बर एचआर 38 एबी 4469 को पुलिस थाना सैपऊ द्वारा दिनांक 04.11.2023 को जब्त किया गया है एवं थाना सैपऊ में एफ.आई.आर. नम्बर 0355/2023 अन्तर्गत धारा 4,5,6,8,9 राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दर्ज की गई तथा अनुसंधान किया गया। प्रकरण में अभियुक्त सद्दीक पुत्र श्री जमील जाति मेव निवासी अलापुर थाना सदर नूंह जिला नूंह के विरूद्व धारा 3,5,8 व 9 राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में पूर्ण चालान एवं प्रकरण में शेष वांछित अभियुक्त

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

कययूम पुत्र श्री सहिदा उम्र 38 साल जाति मेव मुसलमान निवासी गांव भाजलाका थाना सदर ताबडू जिला मेवात हरियाणा के विरूद्ध उपर्युक्त धाराओं में अन्तर्गत धारा 355 बीएनएसएस (299 सीआरपीसी) के तहत् चालानी आदेश प्राप्त कर चार्जशीट नम्बर 44/2025 दिनांक 27.06.2025 को पेश न्यायालय की जा चुकी है। प्रकरण में शेष वांछित अभियुक्त कययूम रोजे वकुऐं से फरार है जिसका मा0 न्यायालय से प्रकरण में स्थाई वारण्ट जारी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कन्टेनर नम्बर एचआर 38 एबी 4469 को वाहन मालिक को सुपुर्द नही किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण में जप्त शुदा वाहन ट्रक को राजसात किये जाने के आदेश दिये जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी ए.एस.आर. रोडवेज प्रा0लि0 जरिये प्रो0 अजित सिंह पुत्र श्री शिशराम निवासी वल्लभगढ फरीदावाद हरियाणा ने थाना सैपऊ में दर्ज एफ.आई. आर. नम्बर 0355/2023 अन्तर्गत धारा 4,5,6,8,9 राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर एच0आर038–एबी 4469 को सुपुर्दगी में लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान यह कथन किया कि वाहन चालक व खल्लासी द्वारा प्रार्थी/वाहन स्वामी की इच्छा व अनुमति की परवाह किये बिना उपरोक्त वाहन में गौवंश भरे गये जिसकी सूचना प्रार्थी को वाहन जप्त होने पर पुलिस के माध्यम से मिली। उक्त दोनो वाहन चालक व खल्लासी द्वारा ऐसा अपराध किया जावेगा, इसका प्रार्थी को कोई अन्देशा पूर्व में नही था। प्रस्तुत चार्जशीट में मुल्जिम के रूप में प्रार्थी/वाहन स्वामी का नाम नहीं है। पुलिस थाना सैपऊ से प्राप्त केस डायरी के अनुसार अभियुक्त सद्दीक व कययूम के विरूद्ध चालान दिनांक 27.06.2025 को पेश न्यायालय किया जा चुका है। प्रार्थी की ओर से वाहन स्वामित्व संबधी दस्तावेज पेश किए गए है। प्रार्थी का नाम एफ0आई0आर0 में शामिल नही है। एस0बी0क्रिमिनल रिट पिटीशन नं. 1245/2025 राशिद बनाम सरकार में मा0 उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2026 में अंकित किया है कि " Having regard to the facts and circumstances of the case and taking into consideration the arguments advanced by the counsel for the petitioner, especially the fact that charge-sheet has already been filed and the petitioner is the registered owner of the vehicle in question and no useful purpose will be served by keeping the vehicle lying unattended at the police station during trial; and following the

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Mohammad (supra), this Court deems it proper to direct that the interim custody of the vehicle deserves to be given to the petitioner, who is the registered owner thereof during the pendency of the trial."

अतः प्रकरण के तथ्यो एंव मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन नं0 को पंजीकृत वाहन मालिक की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रक नंबरी **एचआर 38 एबी 4469** को पंजीकृत वाहन मालिक प्रार्थी/सुपुर्दगार एएसआर रोडवेज प्रा0 लि0 प्रो0 अजित सिंह पुत्र श्री शिशराम निवासी वल्लभगढ फरीदाबाद हरियाणा की वाहन की सुपुर्दगी बावत 200,000/–रूपये की बैंक गारन्टी व शेष राशि 1800000 रूपये का जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा इन शर्तो के साथ न्यायालय की संतुष्टि हेतु पेश कर प्रमाणित करा दे कि वह वाहन का किसी प्रकरण से अंतरण नहीं करेगा व उसके रंग रोगन तथा मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा। न्यायालय द्वारा वाहन को आहूत किये जाने पर उसे अपने खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने बैंक गारन्टी, सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा व अण्डरटेंकिग दिनांक 08.06.2026 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 19.5.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर